कार्यालय जिला पशुपालन पदाधिकारी,अररिया।

ई–मेल– dahoararia@gmail.com वेबसाइट– ahd.bih.nic.in (दूरभाष) मोबाईल न0– 9472128403

पत्रांकः–................................/प0 पा0 दिनांकः–....................................... ।

प्रेषकः–

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

सेवा में,

निदेशक,
सुचना एवंज न सर्म्पक विभाग बिहार पटना।

विषयः– निविदा प्रकाशन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित जिला पदाधिकारी,अररिया से संचिका पर मिले अनुमोदन के अलोक में सुखाड़/बाढ़ 2018–19 में पशु चारा (भुसा/कुट्टी/चोकर/चुन्नी) के आपूर्तिकर्ता एवं दर निर्धारण से संबंधित निविदा प्रकाशन किया जाना हैं।

इस पत्र के साथ निविदा का प्रारुप एवं सी0डी0 आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही हैं।

अतः हिन्दी सामाचार पत्रों में प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नकः– निविदा का प्रारुप एवं सी0डी0–1

विश्वास भाजन

ह०

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

ज्ञापांकः–....356..................../**प0 पा0 अररिया दिनांकः–**....16.3.18.......... ।

प्रतिलिपिः– जिला जन सर्म्पक पदाधिकारी, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर पशुपालन विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– निदेशक पशुपालन विभाग बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

16.3.18

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
16.3.18 **अररिया।**

बिहार सरकार

स मा ह र णा ल य, अररिया

(जिला पशुपालन कार्यालय)

निविदा संख्या – 01

उत्पादक/भंडारकर्त्ता/उप भंडारकर्त्ता/पंजीकृत थोक विक्रेता से बाढ़/सुखाड़ सहाय्य कार्य के लिए गेहूँ का भूसा, पुआल की कुटटी, दल्हन की चुन्नी एवं गेहूँ का चोकर का सील बंद निविदा अररिया जिला के विभिन्न अंचल में वर्ष 2018–19 के लिए आपूर्ति हेतु निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा प्रकाशन के 21 वें दिन शाम 5.00 बजे तक डाक या व्यक्तिगत रूप से जिला पशुपालन कार्यालय, अररिया में निविदा प्राप्त किया जायेगा। निविदा को जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में जिला आपदा कमिटी के द्वारा निविदा प्राप्ति के अगले दिन 3.00 बजे दिन में खोला जायेगा।

निविदा की शर्ते जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के सूचना पटट् एवं विभागीय वेबसाईट www.ahd.bih.nic.in पर देखा जा सकता है। अग्रधन की राशि मो0 5000/–(पॉच हजार) जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो अररिया शाखा में भुगतेय होगा, जमा करना अनिवार्य है।

16-3-18

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

जिला पदाधिकारी,
अररिया।

निविदा की शर्तें निम्न हैं:–

1. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग सील बंद लिफाफा में होगा जिस पर गेहूँ का चोकर,गेहूँ का भूसा,पुआल की कुटटी एवं चुन्नी हेतु निविदा अंकित होगा।
2. रूपये 5000/का बैंक ड्राफ्ट अग्रधन के रूप में जो जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के पदनाम से एवं अररिया में देय होगा। असफल निविदा दाता को अग्रधन का ड्राफ्ट उसी समय लौटा दिया जायेगा तथा सफल निविदादाता की राशि को निविदा की अवधि तक रोक कर रखी जायेगी।
3. PAN काड एवं आधार कार्ड की छाया प्रति।
4. सामग्री का नमूना 200gm पारदर्शी प्लास्टिक की थैली में सील बंद हो, उसपर नाम, पता, एवं मोबाईल नं0 अंकित हो।
5. निविदादाता या उनके प्रतिनिधि कय समिति के समक्ष निविदा खोलने के समय उपस्थित रह सकते हैं।
6. निविदा समिति द्वारा लिए गये निर्णय अंतिम होगा।
7. वित्तिय निविदा में दर साफ–साफ लिखा होना चाहिए। कटिंग या ऑवर राईटिंग मान्य नहीं होगा। चोकर/ गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी का दर अलग–अलग अंकित होना चाहिए।
8. सामग्री की आपूर्ति अररिया जिलान्तर्गत विभिन्न अंचलों के पशु शिविर में आपूर्ति की जायेगी इसके लिए परिवहन मद में राशि अलग से देय नहीं होगा।
9. सफल निविदादाता का नाम एवं आपूर्ति दर आदि सभी प्रखण्ड के अंचलाधिकारी को भेजा जायेगा।
10. सफल निविदादाता को 7 दिनों के अन्दर जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया से एक एकरारनामा करना होगा जिसमें निविदा की सभी शर्तें तथा निविदा समिति के निर्णय वर्णित होगें।
11. सभी अंचलों में निर्देष्ट स्थान तक परिवहन के दौरान क्षति के लिए निविदादाता स्वयं जिम्मेवार होगें।
12. किसी भी स्तर पर निविदा रदद् किया जा सकता है या आवश्यकता नहीं पड़ने पर आपूर्ति आदेश रदद् किया जा सकता है
13. शर्त्तो के अनुपालन में शिथिलता, आपूर्ति में देरी या अनियमिता, गुणवत्ता में कमी आदि की स्थिति में अग्रधन की राशि जप्त कर ली जायेगी/काली सूची में डाला जायेगा एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई किया जा सकता है।
14. कोई भी विवाद होने पर निविदा समिति का निर्णय बाध्यकारी होगा।
15. सारी विवाद अररिया न्यायालय के दायरे में होगा।
16. चोकर/ गेहूँ का भूसा/पुआल की कुटटी/चुन्नी के गुणवत्ता में संदेह होने पर गुणवत्ता जॉच कराई जा सकती है।
17. आपूर्ति आदेश आवश्यकतानुसार संबंधित अंचलाधिकारी/जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा दिया जायेगा जिसका भुगतान उनके द्वारा आपदा मद में प्राप्त आवंटन से किया जायेगा।
18. भूसा/पुआल/चोकर/चुन्नी में 10 प्रतिशत से अधिक नमी नहीं होगी।
19. नियमानुसार भुगतान पर कर की कटौती की जायेगी।

कमांक	सामग्री	गुणवत्ता
1	गेहूँ का भूसा	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
2	पुआल की कुट्टी	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
3	चोकर (गेहूँ)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित
4	चुन्नी (दल्हन)	नमी 10 प्रतिशत से कम एवं कवक रहित

जिला पशुपालन पदाधिकारी,
अररिया।

जिला पदाधिकारी,
अररिया।